

**राजस्थान विधान सभा**

**दशम् सत्र**

**कार्य-सूची**

**सोमवार, दिनांक 05 फरवरी, 2018**

**बैठक का समय :- राज्यपाल महोदय के अभिभाषण  
के आधे घण्टे पश्चात्**

**1. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि**

- (क) सचिव, राजस्थान विधान सभा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति सदन की मेज पर रखेंगे ।
- (ख) सचिव, राजस्थान विधान सभा गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे जिन पर राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है ।

**(ग) अध्यादेश**

श्रीमती वसुन्धरा राजे, मुख्यमंत्री, राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक- 4) सदन की मेज पर रखेंगी ।

**2. विधायी कार्य**

**प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि  
दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017**

श्री गुलाब चन्द कटारिया, सभापति, प्रवर समिति प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक पर गठित प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय :-

दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्या-38)

"दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय दण्ड संहिता, 1860 को इसके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में और संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

### 3. शोकाभिव्यक्ति

निम्नांकित के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा एवं श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी:-

1. श्री बी.एल.जोशी - पूर्व राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड एवं मेघालय ।
2. श्री दिनेश नंदन सहाय - पूर्व राज्यपाल, छत्तीसगढ़ एवं त्रिपुरा ।
3. डॉ. दिगम्बर सिंह - पूर्व सदस्य, बारहवीं तथा तेरहवीं राजस्थान विधान सभा।
4. श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ - पूर्व सदस्य, बारहवीं राजस्थान विधान सभा।
5. श्री उदय सिंह राठौड़ - पूर्व सदस्य, ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा।
6. श्री राम सहाय सोनड़ - पूर्व सदस्य, सातवीं राजस्थान विधान सभा।
7. श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर - पूर्व सदस्य, छठी राजस्थान विधान सभा।
8. सवाई माधोपुर जिले के पास बस के बनास नदी में गिरने से हुई दुर्घटना के मृतक ।

विधान सभा भवन,  
जयपुर  
दिनांक 04 फरवरी, 2018

पृथ्वी राज  
सचिव